न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 02/2024	तारीख रजू 01.04.2024	निर्णय दिनांक 09.04.2024

सरकार बनाम मुन्ना खांन

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदेई कलां स ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि मुन्ना खांन पुत्र वेदू खांन जाति मुसलमान निवासी चूलीगेट तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम उदेई कलां स के खसरा नं. 5459 में रकबा 18.60X9 वर्गमीटर किस्म गै0मु0 पाल पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से मकान व टीनशेड बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी ने ग्राम उदेई कलां में ख0नं0 5550 रकबा 1.61 है0 में से भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, व 4 जो 100X40 फीट नाप के है, क्रय कर रखे है जो प्रार्थी के मिल्कियत व कब्ज के है। प्रार्थी के इन भूखण्डों के पास ही खसरा नंबर 5459 की भूमि स्थित है। प्रार्थी ने ख0नं0 5459 में कोई टीनशेड व मकान निर्माण नहीं किया है। प्रार्थी का टीनपोश ख0नं0 5550 में ही है और मौके पर नाप–तोल करने पर उक्त टीनपोश ख0नं0 5459 में आते है तो प्रार्थी इनको हटाने को तैयार है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा मकान व टीनशेड स्वयं की क्रय की गई भूमि ख0नं0 5550 में होना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा बनाये गये मकान व टीनशेड का कुछ हिस्सा गै0मु0 पाल ख0नं0 5459 में निर्मित किया हुआ है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की।

उभयपक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार